अपील सूचना अधिकार संख्या 18/2020 (RCMS 2020/00033) राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (पोस्ट ऑर्डर नं. 865580) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर

02.03.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल स्वयं उपस्थित हुए एवं लिखित बहस पेश की। अपीलार्थी की बहस भी सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने कथन किया कि उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष एक आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2019 प्रस्तुत करके छः बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध की प्रार्थना की है और धारा 20(1) व 20(2) के तहत शास्ति अधिरोपित करने व हर्जाना अप्रार्थी को दिलवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 09.12.2019 के द्वारा जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर व कोषाधिकारी श्रीगंगानगर के पत्रांक 442 से सम्बन्धित सूचना पत्रांक की बिन्दु संख्या 5 मे अकिंत तथ्य कि राधेश्याम गोयल सूचना अधिकारी अधिनियम का दुरूपयोग केवल विभागो को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें निजी प्रकाश का लोक हित नही है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

2. जिन विभागो को परेशान करने हेतु आवदेन किये उन आवेदनो की प्रमाणित प्रतियां।

3. जिस आवेदन से जिस विभाग को परेशान प्रार्थी द्वारा किया गया है उस आवेदन की प्रमाणित प्रति।

4. सूचना के अधिकार अधिनियम में लोकहित से सम्बन्धित सूचना हेतु बनाये गये नियम की प्रमाणित प्रति।

5. उपरोक्त पत्रांक में अकिंत बिन्दु संख्या में कथन कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समय लगभग 500 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है तथा समस्त अपीले माननीय आयोग द्वारा खारिज की गई है

वाछिंत सूचना व प्रतिरक्षा–प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनों की दिनांक, कुल बिन्दु संख्या, विषय वस्तु आवेदन की, उस पर विभाग द्वारा उपलब्ध करयी गयी सूचना, जिस विभाग से सूचना मांगी गयी, उसकी सूचना, उस विभाग द्वारा दिया गया व जबाव व आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां। इस आवेदन पर प्रस्तुत की गयी अपील प्रथम, उस पर दिया गया निर्णय, निर्णय की प्रतियां, प्रमाणित उपलब्ध करायी जावें।

– द्वितीय अपील में पारित निर्णय की दिनांक व पारित किये गये निर्णय का अतिंम सारांश व निर्णय की प्रमाणित प्रति।

बिन्दु संख्या 7 में यह कथन कि अपीलार्थी एक आदतन आवेदन प्रस्तुतकर्ता है जिससे विभाग कार्य बाधित होता है।

प्रतिरक्षा वाछिंत सूचनाः– आदतन आवेदनकर्ता की सूचना व प्रमाणित प्रति।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में आदतन आवेदनकर्ता की नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति जिस विभाग के जिस कर्मकार व विषय का कार्य बाधित हुआ उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कोषाधिकारी श्रीगंगानगर ने उक्त अपील का कोई जवाब अपीलार्थी को नहीं दिया है और उक्त अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

लोक सूचना अधिकारी, अति. जिला कलक्टर व कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के पत्रांक 422 दिनांक से संबंधित सूचना :

1. पत्रांक की बिन्दु संख्या 5 मे अकिंत तथ्य कि राधेश्याम गोयल सूचना अधिकारी अधिनियम का दुरूपयोग केवल विभागो को परेशान करने की नियत से आवेदन प्रस्तुत करता है जिसमें निजी प्रकाश का लोक हित नही है।

वांछित सूचना प्रार्थी द्वारा अधिनियम के दुरूप्योग करने संबंधी दस्तावेज की सूचना एवं प्रमाणित प्रतिलिपि।

2. जिन विभागो को परेशान करने हेतु आवदेन किये उन आवेदनों की प्रमाणित प्रतियां।
3. जिस आवेदन से जिस विभाग को परेशान प्रार्थी द्वारा किया गया है उस आवेदन की प्रमाणित प्रति।
4. सूचना के अधिकार अधिनियम में लोकहित से सम्बन्धित सूचना हेतु बनाये गये नियम की प्रमाणित प्रति।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

5. उपरोक्त पत्रांक में अकिंत बिन्दु संख्या में कथन कि अतिरिक्त जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के समय लगभग 500 से अधिक आवेदन प्रस्तुत किये जा चुके है तथा समस्त अपीले माननीय आयोग द्वारा खारिज की गई है

वाछिंत सूचना व प्रतिरक्षा –प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदनो की दिनांक, कुल बिन्दु संख्या, विषय वस्तु आवेदन की, उस पर विभग द्वारा उपलब्ध करयी गयी सूचना, जिस विभाग से सूचना मांगी गयी, उसकी सूचना, उस विभाग द्वारा दिया गया व जबाव व आवेदनो की प्रमाणित प्रतियां।

– द्वितीय अपील में पारित निर्णय की दिनांक व पारित किये गये निर्णय का अतिंम सारांश व निर्णय की प्रमाणित प्रति।

बिन्दु संख्या 7: में यह कथन कि अपीलार्थी एक आदतन आवेदन प्रस्तुतकर्ता है, जिससे विभाग कार्य बाधित होता है।

प्रतिरक्षा वाछिंत सूचनाः– आदतन आवेदनकर्ता की सूचना व प्रमाणित प्रति।

– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में आदतन आवेदनकर्ता की नियम की सूचना व प्रमाणित प्रति जिस विभाग के जिस कर्मकार व विषय का कार्य बाधित हुआ उसकी सूचना व प्रमाणित प्रति।

प्रार्थी श्री राधेश्याम गोयल द्वारा चाही गई उपरोक्त बिन्दुओं की सूचना के सम्बन्ध में :

उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाता है कि सूचना अन्वेक्षण कर, ढूंढकर नये प्रारूप में चाहने की

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

श्रेणी में आती है। राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस–विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश लॉग बुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल संबंधी सामग्री शामिल है। लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना एवं ऐसे खोजे गये तथ्य आवेदक को उपलब्ध करवाना अधिनियम के कार्य क्षेत्र से बाहर है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2एफ के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरें शब्दों में सूचना वही देय है जो अभिलेखों में उपलब्ध हो। यदि प्रार्थी चाहे तो इस कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों का निरीक्षण कर किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर सकता है।

इस सम्बन्ध में सूचना नोडल अधिकारी, सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ, श्रीगंगानगर क्रमांक 111 दिनांक 13.01.2020 द्वारा सूचना भिजवाई गई है।

जिला कोषाधिकारी
श्रीगंगानगर

चूंकि जिला कोषाधिकारी द्वारा अपील का जवाब दिया जा चुका है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है** तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश भी नही है।** प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में जिला कोषाधिकारी द्वारा उतर दिया गया है **किन्तु अपीलार्थी को किसी प्रकार से कोई उक्त उतर की सूचना दिया जाना प्रतीत नहीं होता है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उसे भी उतर दिया जाना आवश्यक है।** इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **जिला कोषाधिकारी को आदेश दिया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं का उत्तर उसे भी 7 दिवस में उपलब्ध करवायें और प्रार्थी यदि चाहे तो उसे पत्रावली का अवलोकन करवा दें और प्रार्थी उसमें से कोई सूचना चाहे तो उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानुसार उसकी प्रति उसे उपलब्ध करवा दी जावे। आदेश की प्रति जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर